BROADCAST & CABLE - EASE OF BUSINESS RECOMMENDATIONS

The Govt has been pushing for the ease of doing business for the broadcast and cable industry stakeholders. This paper focusses on the recommendations provided by the regulatory bodies and the stakeholders.

SUMMARY OF RECOMMENDATIONS

A. Single Window System

A1. Characteristics of Single Window System

The Authority recommends that all the concerned Ministries/ Departments should adopt a user-friendly, transparent and responsive digital single window system. The portal should provide easy to navigate mechanism for access to all statutory/ policy guidelines, amendments, orders, office memorandums related to a license/ registration/ permission/ clearance. The portal should be enabled with new digital technologies for achieving end-to-end inter-departmental online process. In addition, the portal should incorporate the following features:

a. All the processes to be duly incorporated in the portal for consideration and grant of:
   i. Initial license/ registration/ permission/ clearance;
   ii. Test report (Approval/ Rejection/ Qualifications- if any);
   iii. Renewal of license/ registration/ permission/ clearance;
   iv. Addition or modification in the license/ registration/ permission/ clearance;
   v. Assignment of resources including spectrum/ numbering resources etc.

प्रसारण और केबल व्यवसाय में आसानी पर सिफारिशें

सरकार प्रसारण और केबल उद्योग के हितधारकों के लिए व्यवसाय करने में आसानी पर जोर दे रही है। यह पेपर नियामक निकायों और हितधारकों द्वारा प्रदान की गयी सिफारिशों पर केंद्रित है।

सिफारिशों का सारांश

ए. सिंगल विंडो सिस्टम

ए 1. सिंगल विंडो सिस्टम विशेषतायें

प्राधिकरण अनुसंशा करता है कि सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयोगकर्ता के अनुकूल, पारदर्शी और उत्तरदायी डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम अपनाना चाहिए। पार्टल को लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमति/क्लीयरेंस से संबंधित सभी वैधानिक/नीतिगत दिशानिर्देशों, संशोधनों, आदेशों, कार्यालय ज्ञापनों तक पहुंच के लिए नेविगेट करने में आसान तंत्र प्रदान करना चाहिए। अंत-से-अंत अंतर विभागीय ऑनलाइन प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए पोर्टल को नयी डिजिटल तकनीकों के साथ सक्षम किया जाना चाहिए। इसके अलावा पोर्टल में निम्नलिखित विशेषतायें शामिल होनी चाहिएः

ए. विचार और अनुदान के लिए पोर्टल में विधिवत रूप रूप से शामिल की जाने वाली सभी प्रक्रियायेंः

1. प्रारंभिक लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमति/मंजूरी
2. टेस्ट रिपोर्ट (स्वीकृति/अस्वीकृति/योग्यतायें-यदि कोई हो)
3. लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमति/मंजूरी का नवीनीकरण
4. लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमति/मंजूरी में वृद्धि या संशोधन
5. स्पेक्ट्रम/नंबरिंग संसाधनों आदि सहित संसाधनों का समनुदेशन

b. Process for submission/ acknowledgement of:
   i. Electronic Bank Guarantee/ Security Deposit/ any other charges or deposits;
   ii. Activities related to Merger & Acquisition;
   iii. Signing of the License Agreement;
   iv. Compliance/ Reporting submission;
   v. Issue and compliance of:
      1. Show Cause Notice for any non-compliance, reply of the notice and decision thereof;
      2. All associated Notices and replies in relation to the above license/ registration/ permission/ clearance;
   vi. Request for release of Bank Guarantee and Security Deposit and release thereof;
   vii. Request for Surrender of license/ permission/ registration.

c. For each license/ registration/ permission/ clearance, distinct user manual and sample forms/ formats with duly filled in sample data.

d. Drop-down menu driven forms with simple application formats seeking only the relevant information.

e. Use of digital technologies like Digi-Locker agreements, contracts with digital signatures, block chain technology, cloud computing, integration with e-office, chatbot mechanism, virtual assistant, automated call centre, artificial intelligence-based tracking, analysis and response systems, analytics, reporting and Management Information System.

f. Precise and well-published timelines in the in-built Citizen Charter as well as in the user manual of each process with strict adherence to such timelines. Citizen Charter to be an integral part of the portal. Provision of deemed approval to be applicable, wherever feasible.

g. Facilitation of online payment of permission fee, registration fee, license fee, annual renewal fee and any other applicable fee and integration with all existing payment systems.

h. Seamless integration with all other concerned ministries/ departments/ agencies to achieve 'Whole of the Government' approach.

i. Queries related to shortcomings, observations or objection raised by the Ministry/ Department to be raised through the portal. Applicant to be prompted

बी. प्रस्तुत करने/पवती के लिए प्रक्रियाः
   1. इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा/कोई अन्य शुल्क या जमा
   2. विलय और अधिग्रहण से संबंधित गतिविधियां
   3. लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर
   4. अनुपालन/रिर्पोटिंग प्रस्तुत करना
   5. जारी करना और अनुपालनः
      1. किसी भी गैर–अनुपालन के लिए कारण बताओ नोटिस, नोटिस का जवाब और उसका निर्णय
      2. उपरोक्त लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमति/क्लीयरेंस के संबंध में सभी संबद्ध नोटिस और उत्तर
   6. बैंक गारंटी और सुरक्षा जमा को जारी करने और उसे जारी करने के लिए अनुरोध
   7. लाइसेंस/अनुमति/पंजीकरण के समर्पण के लिए अनुरोध

सी. प्रत्येक लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमति/मंजूरी के लिए अलग–अलग उपयोगकर्ता पुस्तिका और विधिवत भरे गये नमून डेटा के साथ नमूना प्रपत्र/प्रारूप।

डी. केवल प्रासंगिक जानकारी मांगने वाले सरल आवेदनों प्रारूपों के साथ ड्रॉप डाउन मेनू संचालित प्रपत्र।

इ. डिजी–लॉकर समझौते, डिजिटल सिग्नेचर के साथ अनुबंध, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, क्लॉउड कंप्यूटिंग, ई–ऑफिस के साथ एकीकरण, चैटबॉट मैकेनिज्म, वर्चुअल असिस्टेंट, ऑटोमेटेड कॉल सेंटर, ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रेकिंग, विश्लेषण और प्रतिक्रिया प्रणाली, एनालिटिक्स जैसी डिजिटल तकनीकों का उपयोग और रिपोर्टिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली।

एफ. इनबिल्ट सिटीजन चार्टर के साथ–साथ प्रत्येक प्रक्रिया के उपयोगकर्ता मैनुअल में सटिक और अच्छी तरह से प्रकाशित समय सीमा ऐसी समय सीमा का सख्त पालन के साथ। सिटीजन चार्टर पोर्टल का अभिन्न अंग होगा। डीम्ड अनुमति का प्रावधान, जहां संभव हो, वहां लागू होगा।

जी. अनुमति शुल्क, पंजीकरण शुल्क, लाइसेंस शुल्क, वार्षिक पंजीकरण शुल्क और किसी अन्य लागू शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा और सभी मौजूदा भुगतान प्रणालियों के साथ एकीकरण।

एच. 'संपूर्ण सरकार' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए अन्य सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ सहज एकीकरण।

आई. पोर्टल के माध्यम से उठाये जाने वाले मंत्रालय/विभाग द्वारा की

through automated mail/ SMS. The query and additional documents required, if any, also to be clearly mentioned. Submission of stakeholder response to the query on the portal itself. Queries to be raised in a time-bound manner. Clock start-clock stop mechanism to be applied while checking end-to-end processing time. All the queries/ observations to be raised together in one instance.

j. Stakeholders' Enquiry System related to any license/ registration/ permission/ clearance and any other queries for both existing and prospective users with reply in time-bound manner, both on the portal and through designated officer(s) Desk off the portal.

k. Any change in guidelines or process to be notified to the service providers in their logins and through email and SMS.

l. The portal to automatically reflect the subject wise (licence/ registration/ permission/ clearance) status of number of applications received, pending applications, average pendency, applications in process, applications rejected, and licenses issued. Such information should be publicly available.

m. Integration with the National Single Window System (NSWS) developed by Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT).

A2. Other important measures to reap the benefits of 'Single Window System'

The Authority recommends that:

a. Affidavits prescribed in the extant guidelines and application formats, if any, should be abolished and replaced with self-certificates.

b. For an existing service provider, the requirement of getting 'prior approval' should be replaced with 'prior intimation', wherever feasible.

A3. EoDB Committee

The Authority recommends that each Ministry and its department should establish an Ease of Doing

गयी कमियों, टिप्पणियों या आपत्ति से संबंधित प्रश्न। आवेदक को स्वाचालित मेल/एसएमएस के माध्यम से संकेत दिया जायेगा। पूछताछ और अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो, का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। पोर्टल पर जानकारी के लिए हितधारक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना। समयबद्ध तरीके से उठाये जाने वाले प्रश्न। एंड-टू-एंड प्रोसेसिंग की जांच करते समय क्लॉक स्टार्ट स्टॉप मैकेनिज्म को लागू किया जाना चाहिए। सभी प्रश्नों/टिप्पणियों को एक साथ एक उदाहरण में उठाया जाना चाहिए।

जे. किसी भी लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमति/मंजूरी से संबंधित हितधारकों की पूछताछ प्रणाली और मौजूदा और भावी दोनों उपयोगकर्ता ओं के लिए समयबद्ध तरीके से जवाब के साथ पोर्टल पर नामित अधिकारी (अधिकारियों) के माध्यम से पोर्टल पर डेस्क के माध्यम से।

के. सेवा प्रदाताओं को उनके लॉगिन और ईमेल और एसएमएस के माध्यम से दिशा निर्देशों या प्रक्रिया में किसी तरह के बदलाव की सूचना नहीं दी जायेगी।

एल. पोर्टल स्वचालित रूप से प्राप्त आवेदनों की संख्या, लंबित आवेदनों, औसत लंबितता, प्रक्रियाधीन आवेदनों, अस्वीकृत आवेदनों और जारी किये गये लाइसेंसों के विषयवार (लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमति/ निकासी) स्थिति को दर्शाता है। ऐसी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए।

एम. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा विकसित राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्लूएस) के साथ एकीकरण।

ए2. सिंगल विंडो सिस्टम का लाभ उठाने के लिए अन्य महत्वपूर्ण उपाय

प्राधिकरण अनुसंशा करता है किः

ए. मौजूदा दिशा निर्देशों और आवेदन प्रारूपों में निर्धारित हलफनामें, यदि कोई हो, को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और स्व प्रमाणपत्र 116 के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

बी. एक मौजूदा सेवा प्रदाता के लिए, जहां भी संभव हो, 'पूर्व अनुमेदन' 117 प्राप्त करने की आवश्यकता को 'पूर्व सूचना' से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

ए3. ईओडीबी समिति

प्राधिकरण सिफारिश करता है कि प्रत्येक मंत्रालय और उसके विभाग को मौजूदा प्रक्रियाओं की नियमित रूप से समीक्षा, सरलीकरण और

Business (EoDB) Committee to regularly review, simplify and update the existing processes and to ensure ease of doing business in the sector as an on-going activity. The Committee should consist of the following officers:

a. A senior level officer of Additional Secretary (AS)/ Joint Secretary (JS) level from the concerned Ministry/ Department
b. Two officers from field/ regional offices
c. Two members from among the service providers
d. Two members from the industry associations

The members of the standing committee from service providers and industry associations should be nominated on a rotational basis to cover all the services and processes, with each member having a specific tenure. The committee should periodically take inputs from all the stakeholders/ associations.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (MIB)

B. Issues related to Broadcasting and TV Distribution

B1. Timelines recommended for MIB for broadcasting/ distribution related processes

The Authority recommends that:

a. MIB should specify stage-wise timelines for the process of grant of each license, registration and permission in a similar manner as has been done for Uplinking and Downlinking permission for TV channels.
b. MIB should also prescribe timelines for additional permissions required during the lifecycle of the permission.
c. All the timelines should be incorporated in the respective Guidelines as well as the Citizen Charter/ BroadcastSeva portal.

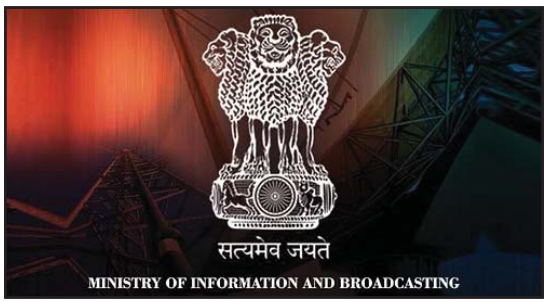

B2. Infrastructure status to Broadcasting and Cable Service Sector

The Authority recommends that given the importance of Cable Services sector in expanding television services as-well-as Broadband services, the Government may consider and grant 'Infrastructure Status' to 'Broadcasting and Cable Services Sector'.

अपडेट करने के लिए ईज ऑफ डूईंग बिजनेस (ईओडीबी) समिति की स्थापना करनी चाहिए और इस क्षेत्र में चल रही गतिविधियों के रूप में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस सुनिश्चित करना चाहिए।

समिति में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होने चाहिएः

ए. संबंधित मंत्रालय/विभाग से अपर सचिव (एएस)/संयुक्त सचिव (जेएस) स्तर का एक वरिष्ठ अधिकारी
बी. फील्ड/क्षेत्रीय कार्यालयों से दो अधिकारी
सी. सेवा प्रदाताओं में से दो सदस्य
डी. उद्योग संघों से दो सदस्य

सेवा प्रदाओं और उद्योग संघों से स्थायी समिति के सदस्यों को सभी सेवाओं और प्रक्रियाओं को कवर करने के लिए बारी बारी से नामित किया जाना चाहिए, प्रत्येक सदस्य का एक विशिष्ट कार्याकाल होना चाहिए।समिति को समय समय पर सभी हितधारकों/संघों से जानकारी लेनी चाहिए।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी)

बी. प्रसारण और टीवी वितरण से संबंधित मुद्दे

बी 1. प्रसारण/वितरण संबंधी प्रक्रियाओं के लिए एमआईबी के लिए अनुशंसित समय-सीमायें

प्राधिकरण अनुसंशा करता है किः

ए. एमआईबी को प्रत्येक लाइसेंस, पंजीकरण और अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए चरण वार समयसीमा उसी तरह निर्दिष्ट करनी चाहिए जैसे टीवी चैनलों के लिए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग अनुमति के लिए किया गया है।

बी. एमआईबी को अनुमति के जीवनचक्र के दौरान आवश्यक अतिरिक्त अनुमतियों के लिए समयसीमा भी निर्धारित किया जाना चाहिए।

सी. सभी समयसीमाओं को संबंधित दिशानिर्देशों के साथ-साथ सिटीजन चार्टर/ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल में शामिल किया जाना चाहिए।

बी 2. प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा

प्राधिकरण सिफारिश करता है कि टेलीविजन सेवाओं के साथ-साथ ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार में केबल सेवा क्षेत्र के महत्व को देखते हुए सरकार 'प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र को बुनियादी ढ़ांचे का दर्जा देने पर विचार कर रही है और ऐसा कर सकती है।

B3. Centre of Excellence for broadcasting services

The Authority reiterates that Government should establish Centre of Excellence or align with Centre of Excellence established by other ministries/ department (e.g., Telecom Center of Excellence) to study technical, economic, social and legal aspects of broadcasting services.

B4. Issues related to MHA Security Clearance

The Authority recommends that:

a. For seeking MHA security clearance, MIB should issue explicit guidelines. The process of security clearance of an applicant company and its key personnel should be made end-to-end online. MIB in close coordination with MHA should provide transparent timelines.

b. For ensuring compliance, MIB may prescribe a standard undertaking to be submitted by each service provider on annual basis. Such undertaking should certify that either no change in Management Control/ Ownership control has happened during the year or that the changes in the management/ ownership structure have been submitted and requisite permission has been duly received (as applicable).

C. Issues with respect to satellite TV channels/ Teleport and related permissions

C1. Examination of applications of TV channels by empaneled CA and Department of Revenue

The Authority reiterates to examine and remove:

a. *the requirement of examining net worth, ownership details, shareholding pattern and its effect on net worth etc. for companies to run news or non-news channels, by the empaneled CA of MIB.*

b. *the requirement of examining the compliance of clause 10 (iii) of the 'Uplinking Downlinking Guidelines, 2022' (erstwhile clause 1.3 and 1.4 of the downlinking policy guidelines) by the Department of Revenue.*

The Authority recommends that MIB may rely upon the documents available in Statutory filings like

बी 3. प्रसारण सेवाओं के लिए उत्कृष्ट केंद्र

प्राधिकरण दोहराता है कि सरकार को प्रसारण सेवाओं के तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक और कानूनी पहलुओं के अध्ययन करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना चाहिए या अन्य मंत्रालयों/विभागों (जैसे दूरसंचार केंद्र उत्कृष्टता) द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्र के साथ संरेखित करना चाहिए।

बी 4. गृह मंत्रालय सुरक्षा मंजूरी से संबंधित मुद्दे

प्राधिकरण अनुसंशा करता है किः

ए. एमएचए सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के लिए एमआईबी को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने चाहिए। एक आवेदक कंपनी और उसके प्रमुख कर्मियों की सुरक्षा मंजूरी की प्रक्रिया का शुरू से अंत तक ऑन लाइन किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय के साथ घनिष्ठ समन्वय में एमआईबी को पारदर्शी समयसीमा प्रदान करना चाहिए।

बी. अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एमआईबी प्रत्येक सेवा प्रदाता द्वारा वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किये जाने वाले एक मानक उपक्रम को निर्धारित कर सकता है। इस तरह के उपक्रम को प्रमाणित करना चाहिए कि वर्ष के दौरान या तो प्रबंधन नियंत्रण/स्वामित्व नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है या यह कि प्रबंधन/स्वामित्व संरचना में परिवर्तन प्रस्तुत किये गये हैं और अपेक्षित अनुमति विधिवत प्राप्त की गयी है। (यथा लागू)

सी. सैटेलाइट टीवी चैनलों/टेलीपोर्ट और संबंधित अनुमतियों के संबंध में मुद्दे

सी 1. सूचीबद्ध सीए और राजस्व विभाग द्वारा टीवी चैनलों के आवेदनों की जांच

प्राधिकरण जांच करने और हटाने के लिए दोहराता हैः

ए. एमआईबी के पैनलबद्ध सीए द्वारा समाचार या गैर समाचार चैनल चलाने के लिए कंपनियों के लिए नेटवर्थ, स्वामित्व विवरण, शेयरहोल्डिंग पैटर्न और नेटवर्थ आदि पर इसके प्रभाव की जांच करने की आवश्यकता है।

*बी. राजस्व विभाग द्वारा अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग दिशा निर्देश **2022** (डाउनलिंकिंग नीति दिशानिर्देशों के पूर्ववर्ती खंड **1.3** व **1.4**) के खंड **10 (3)** के अनुपालन की जांच की आवश्यकता है।*

प्राधिकरण अनुसंशा करता है कि एमआईबी उपरोक्त पैरा ए व बी के सत्यापन के लिए कंपनी अधिनियम के अनुपालन वाले आयकर

Income Tax, MCA21 portal having compliances to the Companies Act for verification of para a and b above.

C2. Renewal of permission for satellite TV channel

The Authority recommends that the online portal should provide an option to broadcasters/ teleport operators to make payment of the annual permission fee either for one year or more than one year. No refund of the annual fee paid in advance by the broadcaster may be permitted in any case. MIB should amend the uplinking downlinking guidelines accordingly.

C3. WPC Royalty fees for temporary uplinking of live coverage of events

The Authority recommends that WPC should charge the spectrum royalty fee for temporary uplinking of live events on pro-rata basis for actual number of days of the event (i.e., basis per day charges) instead of charging for entire month. MIB should take up the matter with WPC.

D. Issues related to distributors of TV channels

D1. Simplified registration and validity of registration for LCOs

The Authority reiterates that the registration of LCO and its renewal should be carried out through online portal. Further, the period of registration for LCO should be increased to 5 years.

The Authority recommends that:

a. A simple mobile app should also be developed by MIB for registration of LCOs. Request for cancellation of LCO registration before 5 years should also be enabled on the online portal and mobile app.

b. The Right of Way (RoW) portal ("GatiShakti Sanchar Portal") should incorporate all the service providers including LCOs. DoT should enable RoW approvals for LCOs also in consultation with MIB. A hyperlink/ button icon should be provided on the MIB portal and the mobile app to reach the RoW portal.

एमसीए21 पोर्टल जैसे वैधानिक फाइलिंग में उपलब्ध दस्तावेजों पर भरोसा कर सकता है।

सी2. सैटेलाइट टीवी चैनल के लिए अनुमति का नवीनीकरण

प्राधिकरण अनुसंशा करता है कि ऑनलाइन पोर्टल को प्रसारकों/टेलीपोर्ट/ऑपरेटरों को एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक के लिए वार्षिक अनुमति शुल्क का भुगतान करने के लिए विकल्प प्रदान किया चाहिए। प्रसारकों द्वारा अग्रिम भुगतान किये गये वार्षिक शुल्क की किसी भी स्थिति में वापसी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एमआईबी को तद्नुसार अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों में संशोधन करना चाहिए।

सी3. घटनाओं के लाइव कवरेज के अस्थायी अपलिंकिंग के लिए डब्लूपीसी रॉयल्टी शुल्क

प्राधिकरण अनुसंशा करता है कि डब्लूपीसी को लाइव इवेंट के अस्थायी अपलिंकिंग के लिए पूरे महीने के लिए चार्ज करने के बजाय इवेंट के दिनों की वातविक संख्या (यानी, प्रति दिन के आधार पर शुल्क) के आधार पर स्पेक्ट्रम रॉयल्टी शुल्क लेना चाहिए। एमआईबी को इस मामले को डब्लूपीसी के साथ उठाना चाहिए।

डी. टीवी चैनलों के वितरकों से संबंधित मुद्दे

डी1. एलसीओ के लिए सरलीकृत पंजीकरण और पंजीकरण की वैधता

प्राधिकरण इस बात को दोहराता है कि एलसीओ का पंजीकरण और उसका नवीनीकरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसके अलावा एलसीओ के लिए पंजीकरण की अवधि को बढ़ाकर पांव वर्ष किया जाना चाहिए।

प्राधिकरण अनुसंशा करता है किः

ए. एलसीओ के पंजीकरण के लिए एमआईबी द्वारा एक साधारण मोबाइल ऐप भी विकसित किया जाना चाहिए। एलसीओ पंजीकरण को 5 साल से पहले रद्द करने के अनुरोध को ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप पर भी सक्षम किया जाना चाहिए।

बी. राइट ऑफ वे (आरओडब्लू) पोर्टल (गतिशक्ति संचार पोर्टल) में एलसीओ सहित सभी सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जाना चाहिए। डॉट को एलसीओ के साथ परामर्श करके आरओडब्लू अनुमोदन सक्षम करना चाहिए।

एमआईबी. आरओडब्लू पोर्टल तक पहुंचने के लिए एमआईबी पोर्टल और मोबाइल ऐप पर एक हाइपरलिंक/बटन आइकन प्रदान किया जाना चाहिए।

c. All the service providers (including LCOs) should be enabled for easy linkages of registration information with GST registration portal. A forward/ backward linkage with GST portal from MIB online portal/ app will enable the users.

d. MIB should maintain a common database of registered LCOs and access to view the LCO data should be provided to all the concerned Authorities like Municipality, local Authorities and TRAI. List of the registered LCOs should also be made available to the public at large.

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS (DOT)

E. Terms and conditions of License Agreement for Unified License

The Authority recommends that:

Demonstration of LIM Capabilities

a. The lawful interception monitoring demonstration of a new service in a single network may take place centrally at one LSA/ location. DoT should prescribe a nodal office to deal with such cases, where such new service uses a common network (with same technical parameters) across multiple LSAs. The nodal office should authorize one LSA to carry out such testing and share the test report with all the other LSAs.

Rollout Obligation Process

b. There should be a module in the single window portal to comply with the end-to-end requirements of rollout obligation process. Timelines should be prescribed for each step of the process.

Security Conditions

c. The process of request for Remote Access to network from foreign locations, and approval by DoT should be made online and time-bound.

d. DoT should review and simplify the existing security conditions prescribed in the UL agreement regarding maintaining command logs and supply chain documents. Instead of seeking every information from the service provider, DoT may examine to create static IP based secure access system to seamlessly

सी. जीएसटी पंजीकरण पोर्टल के साथ पंजीकरण जानकारी के आसान लिंकेज के लिए सभी सेवा प्रदाताओं (एलसीओ सहित) को सक्षम किया जाना चाहिए। एमआईबी ऑनलाइन पोर्टल/ऐप से जीएसटी पोर्टल के साथ फॉरवर्ड/बैकवर्ड लिंकेज के लिए उपयोगकर्ताओं को सक्षम करेगा।

डी. एमआईबी को पंजीकृत एलसीओ का एक सामान्य डेटाबेस बनाये रखना चाहिए और एलसीओ डेटा देखने के लिए नगर पालिका, स्थानीय प्राधिकरणों और ट्राई जैसे सभी संबंधित प्राधिकरणों को पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। पंजीकृत एलसीओ की सूची भी बड़े पैमाने पर जनता को उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

दूरसंचार विभाग (डॉट)

ई. एकीकृत लाइसेंस के लिए लाइसेंस समझौते के नियम व शर्त

प्राधिकरण अनुसंशा करता है किः

एलआईएम क्षमताओं का प्रदर्शन

ए. एक नेटवर्क में एक नयी सेवा का वैध अवरोधन निगरानी प्रदर्शन केंद्रीय रूप से एक एलएसए/स्थल पर हो सकता है। डॉट को ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक नोडल कार्यालय निर्धारित करना चाहिए, जहां ऐसी नयी सेवा कई एलएसए में एक सामान्य नेटवर्क (समान तकनीकी मानदंडों के साथ) का उपयोग करती है। नोडल कार्यालय को इस तरह के परीक्षण करने के लिए एक एलएसए को अधिकृत करना चाहिए और परीक्षण रिपोर्ट को अन्य सभी एलएसए के साथ साझा करना चाहिए।

दूरसंचार विभाग
DEPARTMENT OF
TELECOMMUNICATIONS
सत्यमेव जयते

रोल आउट दायित्व प्रक्रिया

बी. रोलआउट दायित्व प्रक्रिया की एंड-टू-एंड आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल में एक मॉड्यूल होना चाहिए। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

सुरक्षा शर्तें

सी. विदेशी स्थानों से नेटवर्क तक दूरस्थ पहुंच के लिए अनुरोध की प्रक्रिया और डॉट द्वारा अनुमोदन ऑनलाइन और समयबद्ध किया जाना चाहिए।

डी. डॉट को कमांड लॉग्स और सप्लाई चेन दस्तावेजों को बनाये रखने के संबंध में यूएल समझौते में निर्धारित मौजूदा सुरक्षा शर्तो की समीक्षा करनी चाहिए और उन्हें सरल बनाना चाहिए। सेवा प्रदाता से हर जानकारी मांगने के बजाए डीओटी सेवा प्रदाताओं के ऐसे डेटा तक निर्बाध रूप से पहुंचने के लिए स्थिर आईपी आधारित सुरक्षित पहुंच

access such data of the service providers. Government should assimilate the basic concept of enabling the ecosystem by accessing the relevant information, as and when expedient.

FDI Compliance

e. DoT should incorporate the provision/ methodology for submission of FDI compliance on SaralSanchar portal.

F. UL-INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP) LICENSE

The Authority recommends that:

a. Government may revise the periodicity for submission by Internet Service Providers (ISPs) for providing the details of ISP Nodes or Points of Presence (PoP) with their locations and number of broadband/ leased/ dial up subscribers to once every year (instead of every quarter). For the new nodes that are proposed to be installed, an intimation by the ISP to the Licensor at the time of installation should suffice. Such reporting should be part of reporting module of the online portal itself.

b. The website blocking process should be incorporated on the single window portal. The list of websites to be blocked should be communicated to the ISPs in their secure login via an instant notification. The provision for compliance submission by the ISPs should also be on the portal itself.

c. DoT should review and create an easy-to-use module in the portal with reduced compliance burden for Category 'C' Internet Service Providers under UL and UL-VNO for submission/ fulfilment of the requirements specified in the UL Agreement.

d. For Category 'C' Internet Service Providers under UL and UL-VNO, requirement of submitting quarterly statement of revenue share and license fee audited by the Auditors should be replaced by the submission of self-certified statements/ accounts. The Government should seek audited accounts and statement annually.

प्रणाली बनाने की जांच कर सकता है। सरकार को प्रासंगिक जानकारी तक पहुंच बनाकर पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने की मूल अवधारणा को आत्मसात करना चाहिए, जब भी उचित हो।

एफडीआई अनुपालन

इ. डॉट को सरल संचार पोर्टल पर एफडीआई अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान/कार्यप्रणाली शामिल करनी चाहिए।

एफ. यूएल-इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) लाइसेंस

प्राधिकरण अनुसंशा करता है किः

ए. सरकार इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) द्वारा आईएसपी नोड्स या उपस्थिति के विंदु (पीओपी) के विवरण को उनके स्थानों और ब्रॉडबैंड/लीज्ड/डॉयल अप ग्राहकों की संख्या के विवरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष (प्रत्येक तिमाही के बजाय) में प्रस्तुत करने की आवधिकता को संशोधित कर सकती है) स्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नये नोड्स के लिए स्थापना के समय आईएसपी द्वारा लाइसेंसर को सूचित करना पर्याप्त होना चाहिए। ऐसी रिपोर्टिंग स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के रिपोर्टिंग मॉड्यूल का हिस्सा होना चाहिए।

बी. वेबसाइट ब्लॉक करने की प्रक्रिया को सिंगल विंडो पोर्टल पर शामिल किया जाये। अवरूद्ध की जाने वाली वेबसाइटों की सूची तत्काल अधिसूचना के माध्यम से आईएसपी को उनके सुरक्षित लॉगिन में सूचित की जानी चाहिए। आईएसपी द्वारा अनुपालन प्रस्तुत करने का प्रावधान भी पोर्टल पर होना चाहिए।

सी. डॉट को यूएल और यूएल-वीएनओ के तहत श्रेणी सी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए यूएल समझौते में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने/पूरा करने के लिए कम अनुपालन बोझ के साथ पोर्टल में उपयोग में आसान मॉड्यूल की समीक्षा करनी चाहिए और बनाना चाहिए।

डी. यूएल और यूएल-वीएनओ के तहत श्रेणी सी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित राजस्व हिस्सेदारी और लाइसेंस शुल्क का त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता को स्व-प्रमाणित विवरणों/खातों की प्रस्तुति से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। सरकार को सालाना ऑडिट किये गये खातों और विवरण की मांग करनी चाहिए।